FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0072 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 18/03/2026 15:20 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

 1. **Day(दिन):** सोमवार **Date From (दिनांक से):** 22/12/2025 **Date To (दिनांक तक):** 22/12/2025

 Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 19:00 बजे **Time To (समय तक):** 21:08 बजे

 (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 18/03/2026 **Time (समय):** 14:00 बजे

 (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 18/03/2026 15:20:02 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

 1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 370 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

 (b)**Address(पता):** POLICE THANA KOTWALI, PRATAPGARH

 (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

 Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** TILAK CHOUDHARY

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** NANALAL JI CHOUDHARY

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 2001 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	KUMHARWARA, DHARIYAWAD, DHARIYAWAD, PRATAPGARH, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	KUMHARWARA, DHARIYAWAD, DHARIYAWAD, PRATAPGARH, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	AZAD SINGH		पिता:BAHADUR SINGH RAJPUT	1. GEHUWARA POST PUNALI,DUNGARPUR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		5,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 5,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 22.12.2025 समय 7.00 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को समय 6.15 पीएम पर जरिये गोबाईल नम्बर से वाट्सअप कॉल कर व्यक्ति ने बताया कि मैं तिलक चौधरी धरियावद से बोल रहा हूँ। मेरी धरियावद मे सलुम्बर रोड पर नॉनवेज खाने कि होटल है जिसको मैं करीब पिछले 4-5 सालो से चलाता आ रहा हु लेकिन पिछले कुछ दिनों से पुलिस थाना धरियावद में तैनात आजाद सिंह हैड कानि आये दिन मुझे डराता धमकाता रहता है और नॉनवेज कि होटल चलाने के नाम पर अवैध रूपये लेने हेतु बंदी कि मांग कर रहा है। आज भी आजाद सिंह हैड कानि मेरी दुकान पर आया था लेकिन मैं दुकान पर नहीं था और मेरे पिताजी दुकान पर थे. और मुझे फोन कर बताया कि तेरा आधार कार्ड लेकर आ जा नही तो तेरे को एमडी के केस में फंसा देगे जिस पर मैंने निवेदन किया सर ऐसा मत करो मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताना मैं आपकी सेवा कर दुगा जिस पर आजाद सिंह हैड कानि ने बताया कि आज मटन कि सब्जी ले आना और बना कर तैयार रखना हम शाम को करीब 9 बजे के आस पास तेरी होटल पर खाना खाने के लिये आयेगे इसलिए मुझे लगता है जब आजाद सिंह हैड कानि मेरी होटल पर खाना खाने के लिये आयेगे तो मासिक बंदी के नाम पर अवैध रूपये लेने के सम्बंध मे बातचित जरूर करेगे। मैं आजाद सिंह को मासिक बंदी के नाम पर रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूं। उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करवाना चाहता हूँ। उन्हें रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हु। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा सुचना विश्वनीय होने से कार्यालय में उपस्थित श्री दिलीप कुमार कानि नं 319 को कार्यालय के मालखाने से डिजीटल वॉईस रिकोर्डर मय रिक्त मैमोरी कार्ड को लेकर कार्यालय कक्ष में बुलाया जाकर ब्यूरो का डिजीटल वॉर्डस रिकोर्डर मय मैमोरी कार्ड श्री ईश्वर ताल कानि. नं. 320 को सम्भलवाया तथा कानि को परिवादी श्री तिलक चौधरी के मोबाईल नम्बर दिये तथा निर्देश दिये कि धरियावद पहुंच परिवादी से इन नम्बर पर सम्पर्क कर परिवादी से लिखित में रिपोर्ट प्राप्त करे और संदिग्ध श्री आजाद सिंह हैड कानि थाना धरियावद से रिश्वत राशि मांग सत्यापन की नियमानुसार कार्यवाही कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत कराने हेतु हिदायत मुनासीय कर ब्यूरो कार्यालय से मय विभागीय वाहन बोलेरो के समय 7 पीएम पर रवाना किया गया। दिनांक 22.12.2025 समय 11.00 पी.एम. पर श्री ईश्वर साल कानि. नं. 320 मय विभागीय वाहन बोलेरो व डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मेगोरी कार्ड लगा हुआ हो ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया तथा ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर कानि द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश कर बताया की आपके निर्देशानुसार में ब्यूरो कार्यालय से रवाना हो जवाहर नगर चौराया धरियायद पहुंच परिवादी श्री तिलक चौधरी के मोबाईल नम्बर पर जरिये वॉटस्अप कॉल किया तो परिवादी द्वारा बताया कि आप नया बस स्टेण्ड धरियावद आकर मुझे फोन करो मैं आपको मिल जाउंगा जिस पर मैं कानि जवाहर नगर चौराया पहुंच जरीये वाट्सअप कॉल कर परिवादी को बताया कि मैं जवाहर नगर चौराहा धरियावद आ गया हु तो परिवादी ने बताया कि आप यही पर रूको मैं यही पर आता हु जिस पर थोडी देर बाद परिवादी श्री तिलक चौधरी अपनी स्कुटी लेकर जवाहर नगर चौराहा धरियावद आया जिस पर परिवादी को विभागीय वाहन बोलेरो में बिठाया जाकर जवाहर नगर चौराहा से खुतां कि तरफ जाने रोड पर जवाहर नगर चौराहा से थोडी दूर एंकात जगह विभागीय वाहन बोलेरो को रोक कर शिकायत के बारे में पुछताछ कर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की प्राप्त की कि उपरोक्त विषय मे निवेदन है कि में परिवादी तिलक S/0 नानालाल जी चौधरी निवासी कुम्हारवाडा धरिवायद थाना धरियावद जिला प्रतापगढ का रहने वाला हु। मेरी रेणियामंगरी केसरपुरा रोड धरियावद में नॉनवेज खाने की होटल है जो करीब पिछले पांच वर्षो से संचालित कर रहा हु लेकिन थाना धरियावद मे तैनात आजाद सिह हैड कानी मेरी होटल पर आकर आये दिन परेशान करता रहता है तो, मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा आये दिन परेशान करता रहता है. और कहता है कि धरियावद मे धंधा करना है तो मेरे हिसाब से चलना पडेगा आये होटल चलाने के नाम पर अवैध मासिक बंदी की मांग करता है एवम कहता है की धंधा करना है तो 5-7 हजार मासिक बंदी देनी पडेगी अगर नहीं देगा तो धंधा नहीं करने दूंगा और झुठे मुकदमों में फंसा दुगा और आये दिन होटल से फ्रि खाना मंगवाने हेतु फोन करता है और कहता है कि धरियावद मे धंधा करना है तो फ्रि खाना और बंदी देनी पड़ेगी, व मना करने पर गाली गलौच करता है, आजाद सिह हेड कानि से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं और न ही कोई पुरानी लेन देन है। अतः रिर्पोट पेश कर निवेदन है कि कानुनी कार्यवाही कि जाये। उक्त लिखित रिपोर्ट प्राप्त कर परिवादी से उसके पहचान हेतु आधार कार्ड की प्रति प्राप्त की इसके बाद परिवादी ने बताया कि संदिग्ध अधिकारी आजाद सिह हैड कानि करीब 9 बजे के आसपास मेरी

होटल पर आयेगा। अपन मेरी होटल की तरफ ही चलते है तो मैं अपनी स्कूटी आगे-आगे लेकर चलता और आप अपनी गाडी मेरे पिछे पिछे लेकर आओ जिस पर मैं कानि मय विभागीय वाहन बोलेरो के परिवादी के पिछे पिछे चलता रहा जिस पर परिवादी ने लसाडीया चौराया से आगे सलुम्बर रोड पर अपने मिलने वाले कि होटल पर जाकर अपनी स्कुटी रोकी और बताया कि आपकी बोलेरे यही पर खड़ी कर दो उसके बाद मैं कानि व परिवादी दोनो परिवादी के स्कुटी से परिवादी की होटल रेणियामंगरी केसरपुरा रोड घरियावद पहुंचे. जिस पर परिवादी ने बताया कि आप ग्राहकों के बैठने हेतु बनाये गये केबिन में जाकर बैठ जाओ ताकी सदिग्ध अधिकारी आजाद सिंह हैड कानि को पता नहीं चल सके। करीब 9 बजे के आस पास परिवादी ने बताया कि आजाद सिंह हैड कानि व अन्य खाना खाने के लिये आ गये और मैने उनको उपर वाले कमरे में बिठा दिया है जिस पर परिवादी तिलक चौधरी को को ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकोर्डर के संचालन की विधी भलीभांती समझाई गई। तथा मन् कानि द्वारा समय 9.08 पीएम पर ब्यूरो का डिजीटल वॉईस रिकोर्डर मय ममोरी कार्ड लगा हुआ चालु कर परिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही करवाने हेतु सुपुर्द किया गया तथा मैं कानि होटल के अन्दर ही अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के आने के इन्तजार में मुकीम रहा। करीब 5 मिनट बाद परिवादी मेरे पास आया और ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकॉर्टर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ चालु हालत में सुपूर्द किया जिसे मन् कानि ने बन्द कर सुरक्षित अपने पास रख लिया। और परिवादी ने बताया की एक बार आप चैक कर लो सही से आवाज आ रही है या नहीं जिस पर मुझ कानि ने डिजिटल वॉईस रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ चालु कर सुना तो सही से आवाज रिकॉर्ड हो रही थी उसके बाद परिवादी श्री तिलक को दौबारा समय 9.17 पीएम डिजीटल वॉईस रिकोर्डर मय ममोरी कार्ड लगा हुआ चालु कर परिवादी को रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाने हेतु सुपुर्द किया गया तथा मैं कानि होटल के अन्दर ही अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के आने के इन्तजार में मुकीम रहा। तत्पश्चात परिवादी करीब 15 मिनट बाद मुझ कानि के पास आया और ब्यूरो का डिजीटल वॉईस रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ चालु हालत में सुपूर्द किया जिसे मन् कानि ने बन्द कर सुरक्षित अपने पास रख लिया। परिवादी ने बताया कि श्री आजाद सिह हैड कानि द्वारा मासिंक बंदी के नाम पर ली जाने वाली रिश्वत राशि मांग से सम्बन्धित वार्ता हो चुकी है। जिस पर मन् कानि ने श्रीमान को जरिये वॉट्सअप कॉल कर उक्त समस्त घटनाक्रम अवगत कराया था। परिवादी को ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर कार्यवाही की गोपनीयता रखने हेतु हिदायत देकर रवाना हो समय 11.00 पीएम पर उपस्थित कार्यालय आया हु। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल वॉईस रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालु कर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य अंश को सुना गया तो परिवादी एवं आरोपी श्री आजाद सिंह हैड कानि के मध्य आमने-सामनें हुई वार्ता से रिश्वत राशि की मांग करना पाया गया जिससे श्री ईश्वर लाल कानि. द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि हुई। आईन्दा परिवादी से व्यक्तिगत सम्पर्क कर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जायेगी। डिजिटल वॉईस रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड श्री दिलीप कुमार कानि. से मालखाने में सुरक्षित रखवाया गया। दिनांक 24.12.2025 समय 8.30 पी. एम.पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री तिलक चौधरी से जरिये फोन वाट्सअप कॉल कर सम्पर्क कर बताया कि मैं आपसे मिलने के लिये आ रहा हु आप धरियावद ही रूकना। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय कानि. ईश्वर लाल न 320 मय विभागीय वाहन बोलेरो के ब्यूरो कार्यालय से रवाना हो समय 9.30 पीएम पर धरियावद पहुंच परियादी से सम्पर्क किया तो परिवादी ने बताया कि सर आप रेणियामंगरी केसरपुरा रोड पर आ जाओ मैं आपको वही पर मिल जाउंगा । जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय कानि ईश्वर लाल मय विभागीय वाहन बोलेरो के रवाना हो रेणियामगरी केसरपुरा रोड खेतो के पास सुनसान इलाके में पहुंच परिवादी को फोन किया जिस पर परिवादी अपनी स्कुटी लेकर हमारे पास आया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री तिलक चौधरी द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित प्रार्थना पत्र को शब्द ब शब्द पढ़कर सुनाया गया तो परिवादी द्वारा सही होना एवं प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित एवं स्वयं के हस्ताक्षरित होना स्वीकार किया। तत्पश्चात परिवादी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि तथा स्थान के संबन्ध में पुछा तो परिवादी ने बताया कि मुझे विश्वास है कि श्री आजाद सिह हैड कानि मेरी होटल पर आकर ही रिश्वत राशी लेगा लेकिन अभी मेरी पत्नि बिमार है अभी मैं फ्रि नही हु तो अपन दिनांक 29.12.2025 को कार्यवाही करते है जिस पर परिवादी को कार्यवाही की गोपनीयता रखने हेतु हिदायत मुनासीब की गई। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय कानि. ईश्वर लाल नं. 320 मय विभागीय वाहन बोलेरो के रवाना हो समय 11.30 पी.एम पर उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आये। दिनांक 25.12.2025 समय 11.00 एएम इस समय मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के सम्बध मे हालात उच्चाधिकारीयों को निवेदन किया गया दिनांक 20.12.2025 समय 10.33 एएम पर परिवादी श्री तिलक चौधरी ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरीये वाट्सअप कॉल कर कहा कि मै प्रतापगढ़ में अपनी पत्नि को अस्पताल लेकर आया हूँ आपसे मिलना चाहता हूँ। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने उसे राजकीय आवास पर आने हेतु कहा परिवादी श्री तिलक चौधरी ने ट्रेप कार्यवाही के सम्बध में पुरी प्रक्रिया पुनः जाननी चाही जिस पर उसे कार्यवाही कि प्रक्रिया समझाई जाकर कार्यवाही कि गोपनियता बनाये रखने कि आवश्यक हिदायद दी जाकर रूकसत किया गया। दिनांक 28.12.2025 समय 4.00 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने जरीये फोन श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस उदयपुर रेंज उदयपुर को कल दिनांक 29.12.2025 को ट्रेप कार्यवाही में जाप्ते की आवश्यकता होने से अन्य चौकी से जाप्ता उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया गया। दिनांक

28.12.2025 समय 5.32 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरीये वाट्सअप कॉल कर परिवादी श्री तिलक चौधरी ने बताया कि अभी मेरे पास आजाद सिंह हैड साहब को कॉल आया था जिन्होने मुझे कहा कि अपन नए साल में नई बोनी करेगे। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को बताया कि कोई बात नहीं अपन पूर्व में तय कार्यक्रम अनुसार ही अपनी कार्यवाही करेगे। दिनांक 29.12.2025 समय 10 एएम पर श्री दिनेश कुमार सउनि एवं श्री बंशी लाल कानि ब्यूरो इकाई बांसवाडा इमदाद हेतु ब्यूरो कार्यालय प्रतापगढ़ पर उपस्थित आए। दिनांक 29.12.2025 समय 10.30 एएम पर श्री जितेन्द्र कुमार कानि ब्यूरो इकाई चित्तौडगढ़ इमदाद हेतु ब्यूरो कार्यालय प्रतापगढ़ पर उपस्थित आए। दिनांक 29.12.2025 समय 11.00 एएम पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही स्वतंत्र गयाहान की आवश्यकता होने से ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1751 दिनांक 29.12.2025 मुख्य मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ अधिकारी प्रतापगढ़ के नाम तेहरिर जारी कर कानि ईश्वर लाल 320 को दो स्वतंत्र गवाह पाबन्द कराने हेतु निर्देशित कर रयामा किया गया। दिनांक 29.12.2025 समय 12.30 पीएम पर परिवादी श्री तिलक चौधरी ब्यूरो कार्यालय पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित आया जिसने बताया कि मांग सत्यापन वार्ता अनुसार रिश्वत राशि 5000/- रूपये और देना तय हुआ था, मांग के अनुसार मैं 5000/ हजार रूपये कि व्यवस्था करके ले आया हूँ। स्वतन्त्र गवाहो के उपस्थित होने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। परिवादी को सुरक्षित कार्यालय कक्ष में बिठाया गया। दिनांक 29 12.2025 समय 12.50 पीएम पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ अधिकारी प्रतापगढ़ से वो स्वतन्त्र गवाह उपस्थित आये जिनको मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देते हुए उनका परिचय पुछा तो एक ने नाम श्री मुकेश परमार संस्थापन अधिकरी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ अधिकारी, प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ एवं दुसरे ने अपना श्री राहुल चौहान कनिष्ठ सहायक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ अधिकारी प्रतापगढ़ होना बताया तथा अपनी पहचान के सम्बध में दोनो स्वतंत्र गवाहों ने अपने-अपने आधार कार्ड प्रस्तुत किये। तत्पश्चात दोनों गवाहों को सुरक्षित कार्यालय कक्ष में बिठाया गया। दिनांक 29.12.2025 समय 01.05 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा संदिग्ध अधिकारी श्री आजाद सिंह हैड कानि थाना धरियावद जिला प्रतापगढ़ कि ब्यूरो मुख्यालय से लोकेशन प्राप्त कि गई तो सदिग्ध अधिकारी कि लोकेशन आसपुर जिला डुगरपुर होना पाई गई। दिनांक 29.12.2025 समय 2.41 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा संदिग्ध अधिकारी श्री आजाद सिंह हैड कानि थाना धरियावद जिला प्रतापगढ़ कि ब्यूरो मुख्यालय से लोकेशन प्राप्त कि गई तो सदिग्ध अधिकारी कि लोकेशन अभी भी आसपुर जिला डुगरपुर होना पाई गई। दिनांक 29.12.2025 समय 04.15 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा संदिग्ध अधिकारी श्री आजाद सिह हैड कानि थाना धरियावद जिला प्रतापगढ़ के सम्बंध में गोपनिय सुत्रो से जानकारी प्राप्त कि गई उक्त हैड कानि अवकाश में होना पाया आईन्दा हैड कानि अवकाश से आने पर अग्रिन कार्यवाही कि जायेगी। दिनांक 29.12.2025 समय 4.30 पीएम पर स्वतन्त्र गवाह श्री मुकेश परमार संस्थापन अधिकरी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ अधिकारी प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ़ एवं श्री राहुल चौहान कनिष्ठ सहायक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ अधिकारी, प्रतापगढ़ व परिवादी श्री तिलक चौधरी को कार्यवाही कि गोपनियता बनाये रखने कि आवश्यक हिदायद दी जाकर रुखसत किया गया। दिनांक 29.12.2025 समय 5.00 पीएम पर श्री दिनेश कुमार सउनि, श्री बंशी लाल कानि ब्यूरो इकाई बांसवाडा व श्री जितेन्द्र कुमार कानि ब्यूरो इकाई चित्तौडगढ़ को कार्यवाही कि गोपनियता बनाये रखने कि आवश्यक हिदायद दी जाकर रवाना जाय तैनाती किया गया। दिनांक 01.01.2026 समय 4.30 पीएम पर कानि ईश्वर लाल नं. 320 को मय प्राईवेट मोटरसाईकिल, डिजीटल वॉईस रिकोर्डर मय मैमोरी कार्ड के परिपादी श्री तिलक चौधरी से संन्दिध अधिकारी आजाद सिह हैड कानि द्वारा मांग की जा रही रिश्वत राशी कब लेगा इस सम्बंध में वार्ता कर जानकारी प्राप्त करने हेतु रवाना धरियावद किया गया। दिनांक 01.01.2026 समय 9.30 पीएम पर पर कानि ईश्वर लाल नं. 320 मय प्राईवेट मोटरसाईकिल, डिजीटल वॉईस रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड के ब्यूरो कार्यालय हाजिर आया और मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि निर्देशानुसार ब्यूरो कार्यालय से डिजीटल वॉईस रिकोर्डर गय मेमोरी कार्ड के रवाना हो धरियावद पहुच परिवादी को जरीये वॉट्सअप कॉल सम्पर्क किया तो परिवादी ने बताया कि मैं अभी अपनी होटल पर ही हु जिस पर मैं कानि रवाना हो परिवादी के होटल पहुंचा जहा परिवादी मिला जिससे सदिन्ध अधिकारी के बारे में जानकारी ली व परिवादी से पुछा कि संदिग्ध अधिकारी द्वारा आपसे सम्पर्क तो नहीं किया जिस पर परिवादी ने बताया कि मेरी रविवार को बात हुई थी जिस पर परिवादी के मोबाईल से सदिग्ध अधिकारी को नॉर्मल व वाट्सअप कॉल किया जाकर मासिक बंदी लेने के सम्बंध में वार्ता कि गई तो सदिग्ध अधिकारी द्वारा बताया गया कि अभी अभियान चल रहा है 4-5 तारिख के बाद देखते है मोबाईल पर की गई उक्त वार्ता को डिजीटल वॉईस रिकोर्डर मे समय 6.30 पीएम पर रिकोर्ड कि गई बाद फारीक रवाना हो हाजिर ब्यूरो कार्यालय आया। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजीटल वॉईस रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालु कर मार्ता के मुख्य अंश को सुना गया । डिजीटल वॉईस रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड श्री दिलीप कुमार कानि से मालखाने में सुरक्षित रखयाया गया। दिनांक 04.01.2020 सणय 11.00 एएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरीये वाट्सअप कॉल कर कानि ईश्वर लाल 320 ने बताया कि सर मेरे पास परिवादी श्री तिलक चौधरी का कॉल आया था और उसने बताया कि सर कल रात को धरियावद थाना स्टाप से एक व्यक्ति मेरी होटल पर खाना खाने के लिये आये थे जिनसे मैने पुछा कि आज कल आजाद सिंह जी नजर नही आ रहे नही आ रहे है जिस पर उन्होने बताया कि आजाद सिंह का थाना

केसरीयावद ट्रांसफर हो गया और उनको धरियावद थाने से गये हुये तो 3-4 दिन हो गये है। दिनांक 04.01.2026 समय 04.00 पीएम पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा गोपनिय सुत्र के ज्ञात हुआ कि आजाद सिंह हौड कानि को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला प्रतापगढ़ के मौखिक आदेश की पालना में थाना धरियावद से चौकी लौहागढ़ थाना पारसोला रवाना किया गया है। दिनांक 10.01.2026 समय 10.38 एएम पर मन अतिरिका पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री तिलक चौधरी को कॉल कर सम्पर्क कर पुछा कि आपको सदिग्ध अधिकारी का कोई फोन आया था उससे कोई बात हुई क्या इस पर परिवादी तिलक चौधरी ने इनकार किया कि ना उन्होने कॉल किया ना ही मैंने आगे से कोई सम्पर्क किया है। इस पर परिवादी को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से मिलने हेतु कहा कि या तो वह प्रतापगढ़ आ जाये या मैं तुमसे मिलने धरियावद आ रहा हु। इस पर परिवादी ने बताया कि मैं अभी निमच हु अपनी पत्नि के साथ ससुराल झालावाड जा रहा हूँ। यहा से आकर आपसे मिलता हूँ। दिनांक 14.01.2026 समय 12.02 पीएम पर परिवादी श्री तिलक चौधरी से जरीये फोन कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने वार्ता कि एंव पुछा कि अभी वापस आकर नहीं मिले ,क्या हुआ इस पर परिवादी ने 2-3 दिन बाद मिलने के लिये कहा. साथ ही यह भी बताया कि सदिग्ध अधिकारी श्री आजाद सिंह हैठ कानि ने उससे पैसो के लिये सम्पर्क नहीं किया है। दिनांक 23.01.2026 समय 10.30 एएम पर दर्ज रहे कि मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ब्यूरो चौकी उपस्थित हुआ परिवादी श्री तिलक चौधरी से वार्ता की एवं पुछा कि सदिग्ध अधिकारी ने उससे सम्पर्क किया क्या तब परिवादी ने इनकार किया. जिस पर परिवादी से पूछा कि अब भविष्य में सदिग्ध अधिकारी श्री आजाद सिंह हैड कानि द्वारा उससे सम्पर्क कर रिश्वत लिये जाने की क्या संभावना है इस पर परिवादी ने 2-3 और इन्तजार करने हेतु कहा गया। दिनांक 27.01.2026 समय 12.40 पीएम पर तिलक पिता नानालाल जी चौधरी उम्र 25 वर्ष निवासी कुम्हारवाडा धरियावद थाना धरियावद जिला प्रतापगढ़ ने उपस्थित ब्यूरो कार्यालय को एक हस्त लिखित रिर्पोट इस आशय कि पेश कि की उपरोक्त विषय मे निवेदन है मुझ परिवादी तिलक S/o नानालाल जी चौधरी वर्ष निवासी कुम्हारवाडा धरिवायद थाना धरियावद जिला प्रतापगढ़ राज उम्र 25 ने दि. 22.12.25 को ईश्वर जी acb प्रतापगढ़ धरियावद आये और उनके द्वारा दिये गये वॉईस रिकॉर्डर मे मेरे द्वारा आजाद सिंह हैड साहब द्वारा मांग कि जा रही रिश्वत राशी कि मांग कि वार्ता रिकॉर्ड कि थी उसके बाद मैने रिकोर्डर को ईश्वर जी को दे दिया था लेकिन उसके बाद मेरी पत्नि कि तबीयत खराब होने के कारण समय से अग्रिम कार्यवाही में सहयोग नही कर पाया था। दि. 28.12.2025 को आजाद सिंह हैड साहब द्वारा मुझ फोन कर बताया कि अपन नए साल में नई बोनी करेगे उसके बाद दि 1.1.26 को मेरे कहने पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने ईश्वर जी acb प्रतापगढ़ को मय रिकॉर्डर टेप धरियावद पास भेजा जिस पर मेरे द्वारा आजाद सिंह हैड साहब को फोन कर मासिक बंदी के रूप में ली जानी वाली राशी के सम्बंध मे वार्ता कि तो उन्होने बताया कि अभी अभीयान चले रहे है तो अपन 4 या 5 तारीख बाद इस विषय मे बात करते हैं उक्त वार्ता ईश्वर जी द्वारा रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गयी दि. 03.01.2026 को मेरी होटल पर खाना खाने हेतु धरियावद थाने से स्टाफ के जवान आये थे जिनसे मैने पुछा कि आज कल आजाद सिह हैड साहब नजर नहीं आ रहे है तो उन्होने बताया कि उनका तो धरियावद थाने से केसरीयावद थाने में ट्रासफर हो गया है, इसकी सूचना मैने दि. 04.01.2026 करे ईश्वर जी जरीये मोबाईल सुचीत किया गया था आजाद सिंह हैड साहब का ट्रासफर होने के बाद उन्होने मुससे कोई सम्पर्क नहीं किया व ना ही मेरी मासीक बंदी के सम्बध में बात हुई, अब मुझे लगता है आजाद सिह हैड साहब द्वारा मासीक बंदी के रूप में ली जाने वाली रिश्वत राशी ना तो मांगेगा और ना ही अब लेगा. अतः रिर्पोट श्रीमान के सेवामे पेश कर निवेदन है अग्रिम कानुनी कार्यवाही कि जाये। दिनांक 27. 01.2026 समय 12.45 पीएम पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही में दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 116 दिनांक 27.01.2026 मुख्य मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ अधिकारी, प्रतापगढ के नाम तेहरिर जारी कर जरीये ई-मेल प्रेषित की गई एंव तेहरीर देने हेतु कानि. ईश्वर लाल 320 को दो स्वतंत्र गवाह पाबन्द कराने हेतु निर्देशित कर रवाना किया गया। दिनांक 27.01.2026 समय 1.30 पीएम पर मुख्य मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ अधिकारी, प्रतापगढ से दो स्वतन्त्र गवाह उपस्थित आये जिनको मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देते हुए उनका परिचय पुछा तो एक ने नाम श्री मुकेश परमार पिता रामलाल परमार निवासी पानवारी शास्त्री कॉलोनी डुगरपुर जिला डुगरपुर संस्थापन अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवम स्वास्थ अधिकारी प्रतापगढ़ राज एवं दुसरे ने अपना श्री राहुल चौहान पिता विजय सिंह चौहान निवासी वार्ड नम्बर 07 किला परिसर खेरादी मोहल्ला प्रतापगढ़ थाना प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ़ हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ अधिकारी प्रतापगढ़ राज होना बताया। दोनो स्वतंत्र गवाह से पहचान हेतु आधार कार्ड की प्रति प्राप्त की गई। तथा दोनों गवाहन को ब्यूरो की असफल ट्रेप कार्यवाही में अग्रिम कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाहान उपस्थित रहने बाबत सहमति चाही गई तो दोनो गवाहान ने अपनी-अपनी मौखिक सहमति व्यक्त की गई। दिनांक 27.01.2026 समय 1.45 पीएम पर परिवादी श्री तिलक चौधरी को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यो कार्यालय कक्ष में बुलाकर दोनो गवाहान एवं परिवादी श्री तिलक चौधरी का आपस में परिचय कराया गया। तत्पश्चात श्री तिलक चौधरी द्वारा दिनांक 22.12.2026 दिनांक 27.12.2026 को प्रस्तुत रिपोर्ट दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष पढ़कर सुनाई गई तो परिवादी ने शब्द-ब-शब्द सही होना मान रिपोर्ट स्वयं की हस्तलिपि में होना व रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर अंकित होना जाहिर किया गया। उक्त रिपोर्ट को पढ़कर दोनो स्वतंत्र गवाहान ने उस पर अपने हस्ताक्षर किया। दिनांक

27.01.2020 समय 200 पीएम पर कार्यालय के मालखाने से श्री ईश्वर लाल कानि. 320 प्रभारी मालखाना से ब्यूरो का डिजिटल पाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड दिनांक 22.12.2025 को समय 0908 पीएम व 9.17 पीएम पर परिवादी तिलक चौधरी व सदिग्ध अधिकारी श्री आजाद सिंह हैड कानि धाना धरियावद जिला प्रतापगढ़ के आमने सामने हुई वार्ता को ब्यूरो के टिजिटल वॉर्डस टेप रिकॉर्डर में परिवादी श्री तिलक चौधरी द्वारा रिकॉर्ड किया गया जिसे दोनो स्वतंत्र गवाह के समक्ष रिकॉर्ड शुदा वार्ता को पृथक पृथक चला कर सुनाया गया तथा उक्त डिजिटल वा ॅईस रिकॉर्डर को ब्यूरो के कम्प्यूटर से कनेक्ट करा श्री ईश्वर लाल कानि नम्बर 320 से प्रत्येक वार्ता की फर्द ट्रांसकिष्ट तैयार करवाई जाकर स्वतंत्र गवाह को सुनाई एवम पढाई गई तो जिसे सही मान परिवादी एंव दोनो स्वतंत्र गवाहों ने हस्ताक्षर किये। उक्त दोनो दिनांक की वार्ताओ के मूल मेमोरी कार्ड से पेन ड्राईव पृथक से तैयार किया जायेगा। दिनांक 27.01.2026 समय 2.40 पीएम पर कार्यालय के मालखाने से श्री ईश्वर लाल कानि.320 प्रभारी मालखाना से ब्यूरो का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड दिनांक 01.01. 2026 का समय 6.30 पीएम पर परिवादी श्री तिलक चौधरी के मोबाईल नम्बर एंव सदिग्ध अधिकारी श्री आजाद सिंह हैड कानि थाना धरियावद जिला प्रतापगढ़ के मोबाईल नम्बर पर सामान्य कॉल एंव वाट्स अप कॉल पर हुई वार्ता जिसे ईश्वर लाल कानि न.320 द्वारा ब्यूरो के डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड किया गया जिसे दोनो स्वतंत्र गवाह के समक्ष रिकॉर्ड शुदा वार्ता को पृथक-पृथक चला कर सुनाया गया तथा उक्त डिजिटल यॉईस रिकॉर्डर को ब्यूरो के कम्प्युटर से कनेक्ट करा श्री ईश्वर लाल कानि नम्बर 320 से प्रत्येक वार्ता की फर्द ट्रांसकिप्ट तैयार करवाई जाकर स्वतंत्र गवाह को सुनाई एंव पढाई गई तो जिसे सही मान परिवादी एंव दोनो स्वतंत्र गवाहों ने हस्ताक्षर किये। उक्त दोनो दिनांक की वार्ताओ के मूल मेमोरी कार्ड से पेन ड्राईव पृथक से तैयार किया जावेगा। दिनांक 27.01.2026 समय 3.00 पीएम पर दिनांक 22.12. 2026 को समय 09.08 पीएम पर परिवादी एंव आरोपी संदिग्ध अधिकारी श्री आजाद सिह हैड कानि के मध्य आमने सामने हुई रिश्वत राशी मांग सत्यापन वार्ता जिसे परिवादी द्वारा ब्यूरों के डिजिटल पॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया तथा दिनांक 01.01.2026 को समय 6.30 पीएम पर परिवादी एंव संदिग्ध अधिकारी आजाद सिह हैड कानि के मध्य परियादी के मोबाईल नम्बर से सदिग्ध आरोपी श्री आजाद सिंह हैड कानि के मोबाईल नम्बर पर हुई रिश्वत राशी मांग सत्यापन वार्ता जिसे ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मे ईश्वर लाल कानि 320 ने रिकोर्ड किया गया कुल 3 वार्ता जिसे नियमानुसार ब्यूरो के कम्प्यूटर से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड पृथक-पृथक कनेक्ट करा ईश्वर लाल कानि नम्बर 320 ने उक्त वार्ताओ की पृथक-पृथक पेन ड्राईव प्रत्येक पर केडीएम लिखा हुआ केटीएम कम्पनी का बरंग सिल्वर 8 जीबी की तैयार की एंव चारों पेन ड्राईव की पृथक-पृथक हेश वैल्यू निकाली गई। उक्त चारो पेन ड्राईव में से एक पेन ड्राईव न्यायालय, दुसरा पेन ड्राईव आरोपी हेतु, तीसरा मूल पेन ड्राईव, तथा चौथा अनुसंधान अधिकारी हेतु पेन ड्राईव है। मूल पेन ड्राईव, न्यायालय पेन ड्राईव तथा पेन ड्राईव आरोपी हेतु को पृथक-पृथक कवर में रखकर अलग-अलग सफेद कपडे की थेली में रखकर नियमानुसार परिवादी एंव दोनो स्वतंत्र गवाहों के समक्ष सिलचिट बंद कर प्रत्येक पेन ड्राईव की पृथक-पृथक फर्द जब्ती परिवादी एंव दोनो स्वतंत्र गवाहों के समक्ष तैयार की गई जिस पर परिवादी एवं दोनों स्वतंत्र गवाहो ने हस्ताक्षर किये। अनुसंधान अधिकारी पेन ड्राईव केडीएम कम्पनी का बरंग सिल्वर स्टील 8 जीबी को अलग लिफाफे में बंद कर रखा जिस पर परिवादी एंव दोनो स्वतंत्र गवाहों ने हस्ताक्षर किये। दिनांक 27.01.2026 समय 4.15 पीएम पर दिनांक 22.12.2026 को समय 09.08 पीएम व 09.17 पीएम पर परिवादी एंव आरोपी संदिग्ध अधिकारी श्री आजाद सिंह हैड कानि के मध्य आमने सामने हुई रिश्वत राशी मांग सत्यापन वार्ता जिसे परिवादी द्वारा ब्यूरो के डिजिटल डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कि गई कुल 2 वार्ता जो नियमानुसार ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई। उक्त मूल मेमोरी कार्ड की हेश वैल्यू नियमानुसार श्री ईश्वरलाल कानि. से निकलवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त मेमोरी कार्ड को डिजिटल वॉर्डस रिकॉर्डर में से मूल ही निकलवाया गया तो मेमोरी कार्ड बरंग काला केडिएम कम्पनी का 08 जी बी. जिस पर केडिएम लिखा हुआ है, को कवर में एक लिफाफे में रखकर एक सफेद कपडे की थेली में रख कर परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहों के समक्ष जरिये फर्द वजह सबूत जब्त कर नियमानुसार मार्क M अंकित कर सिलचीट किया गया। जिस पर दोनो स्वतंत्र गवाहो एंव परिवादी ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। दिनांक 27.01.2026 समय 4.45 पीएम पर दिनांक 01.01.2026 को समय 06. 30 पीएम पर परिवादी एंव संदिग्ध अधिकारी आजाद सिंह हैड कानि के मध्य परिवादी के मोबाईल नम्बर से सदिग्ध आरोपी श्री आजाद सिंह हैड कानि के मोबाईल नम्बर पर हुई रिश्वत राशी मांग सत्यापन वार्ता जिसे ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में ईश्वर लाल कानि 320 ने रिकोर्ड कि गई कुल 1 वार्ता जो नियमानुसार ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई। उक्त मूल मेमोरी कार्ड की हेश वेल्यू नियमानुसार श्री ईश्वरलाल कानि. से निकलवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मुल मेमोरी कार्ड को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में से मूल ही निकलवाया गया तो मेमोरी कार्ड बरंग काला केडिएम कम्पनी का 08 जी.बी. जिस पर केडिएम लिखा हुआ है, को कवर मे एक लिफाफे में रखकर एक सफेद कपडे की थेली में रखकर परिवादी एव दोनो स्वतंत्र गवाहो के समक्ष जरिये फर्द वजह सबूत जब्त कर नियमानुसार मार्क M-1 अंकित कर सिलचीट किया गया। जिस पर दोनो स्वतंत्र गवाहों एवं परिवादी ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। दिनांक 27.01.2028 समय 5.30 पीएम पर ब्यूरो के डिजिटल

वॉईस रिकॉर्डर एवं जब्त शुदा समस्त आर्टीकल को श्री ईश्वर लाल कानि. से सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया। दिनांक 27.01.2026 समय 5.40 पीएम पर परिवादी श्री तिलक चौधरी को बाद कार्यवाही के आवश्यक हिदायत कर रूखसत किया गया। दिनांक 27.01.2026 समय 5.45 पीएम पर स्वतंत्र गवाह श्री मुकेश परमार पिता रामलाल परमार निवासी पानवारी शास्त्री कॉलोनी डुगरपुर जिला डुगरपुर संस्थापन अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ अधिकारी प्रतापगढ़ राज एवं श्री राहुल चौहान पिता विजय सिह चौहान निवासी वार्ड नम्बर 07 किला परिसर खेरादी मोहल्ला प्रतापगढ़ थाना प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ अधिकारी प्रतापगढ़ राज को बाद कार्यवाही के आवश्यक हिदायद कर रूखसत किया गया। अतः परिवादी की लिखित रिपोर्ट, फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता एवं गोपनीय जानकारी से श्री आजाद सिंह हैड कानि थाना धरियायद जिला प्रतापगढ़ द्वारा परिवादी श्री तिलक चौधरी द्वारा रेणियामंगरी धरियावद में नॉनवेज होटल चलाने के नाम पर अवैध मासिक बंदी के रूप में मांग की जा रही 5 हजार रूपये रिश्वत राशि की स्पष्ट मांग करने से आरोपी श्री आजाद सिंह हैड कानि थाना धरियावद जिला प्रतापगढ़ के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की धारा 7 का अपराध प्रमाणित होने से प्रकरण पंजीबद्ध करवाने हेतु रिपोर्ट श्रीमान की सेवामें अग्रेषित हैं। भवदीय (विक्रम सिह), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्युरो प्रतापगढ.............कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री विक्रम सिह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, प्रतापगढ ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री आजाद सिंह पिता बहादुर सिंह राजपुत उम्र 38 साल निवासी गांव गेहुवाडा पोस्ट पुनाली थाना दोवडा तहसील डुगरपुर जिला डुगरपुर हाल हैड कानि नम्बर 525 थाना धरियावद जिला प्रतापगढ राजस्थान के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 713 पर अंकित है। (अनिल कयाल) उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 501-05 दिनांक 18.03.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, प्रतापगढ 2- पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज उदयपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, प्रतापगढ । उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** RAJENDRA SINGH **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Anil Kumar Kayal
Location: Rajasthan,IN
Date: 18/03/2026 15:26:36

Name(नाम): ANIL KAYAL

Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1988				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)